।।कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 377 /12-1 , दिनांक, गोपेश्वर, जूलाई 18 /2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून।

पंजी0 सं0 474
पत्रावली
दिनांक 24/7/17

विषयः– **जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा–बैजनाथ–कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के किमी0 100 गुडम स्टेट से विजयपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.71 है0 वन भूमि के गैरवानिकीय कार्यो हेतु ग्राम्य विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भः– **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड कर्णप्रयाग का पंत्राक 238/चार–प्रावि0/वन भूमि/2017–18 दिनांक 21.06.2017**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0 113/X–4–15/1(29)/2015 दिनांक 20.03.2015 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑन लाईन अपलोड कर प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे तीन–तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा हैः–

1. शासन की शर्त सं0–01 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 7.42 है0 ग्राम तलवाड़ी एवं लुड़ा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि रू0 9,64,600.00 (रू0 नौ लाख चौसठ हजार छः सौ) मात्र NEFT/RTGS (Challan) के माध्यम से AC–HOC कैम्पा में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–1.1)** दिनांक 05.02.2015 में जमा कर दी गई है। जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 19 अप्रैल 2016 को की गई है। प्रति संलग्न **(संलग्नक–1.2)**

1.1 शासन द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम तलवाड़ी एवं लुड़ी सिविल सोयम भूमि, जिसका कुल क्षेत्रफल 7.42 है0 को वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक 6441/छब्बीस–33(2013–14) गोपेश्वर दिनांक 20 जुलाई 2015 में नामान्तरण/हस्तान्तरण किया जा चुका है। जिलाधिकारी की पत्र की छाया प्रति सलंग्न है। **(संलग्नक–1.3)**

2. शासन की सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 20,00,000.00 (रू0 बीस लाख) मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS (Challan) के माध्यम से AC–HOC कैम्पा में जमा कर दी गई है। चालान व भुगतान की रसीद की छाया प्रति संलग्नः है।**(संलग्नकः– 1.1,1.2)**

3. शासन की सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 34,83,690.00 (रू0 चौतीस लाख तिरासी हजार छः सौ नब्बें) मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS (Challan) के माध्यम से AC–HOC कैम्पा में जमा कर दी गई है। चालान व भुगतान की रसीद की प्रति संलग्न है। **(संलग्नकः– 1.1, 1.2)**

4. शासन द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–04 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि जमा कर दी जायेगी, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

5. शर्त संख्या 5 व शर्त सं0–6 के अनुपालन में एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियो में NEFT/RTGS (Challan) के माध्यम से AD-HOC CAMPA में जमा कर दी गई है। चालान व भुगतान रसीद की प्रति **संलग्न 1.1, 1.2** ।

6. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियो/सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। जिसका प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**

7. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र सलंग्न है। **(संलग्न–4)**

8. शर्त संख्या–9 मान्य है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– / **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई, खण्ड, कर्णप्रयाग को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(एन0एन0पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।